

# मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मई, 1994 सत्र

दिनांक 4 अप्रैल, 1994 (वीत्र 14, 1918)

सोमवार, दिनांक 4 अप्रैल, 1994 (वीत्र 14, 1918)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री मोहनलाल चौधरी, पशुपालन मंत्री, कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619-की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य डेरी विकास निगम मर्यादित, भोपाल के वर्ष 1983-84 से वर्ष 1991-92 तक के समापक के लेखा विवरण तथा लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री बलचन नाथक, बाबूलाल गौर, रामलखन शर्मा, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम पुरैनी के पास एक स्टापडेम के धंसने से श्रमिक की मृत्यु होने के संबंध में उपमुख्य मंत्री कृषि, का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री देवलाल दुग्गा, विक्रम सिंह उसेडी, सदस्य, बस्तर में सलफी के बृंश अजात बीमारी से नष्ट होने के संबंध में राज्यमंत्री वाणिज्यक कर का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री पुन्नलाल मोहले, सदस्य, भोपाल के संजय नगर के पीछे की झुगियों में नल की व्यवस्था,

(2) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, भोपाल के द्वारका नगर के मिडिल स्कूल को हाईस्कूल में परिवर्तित करने,

(3) डॉ. चेतन सिंह वर्मा, सदस्य, दुर्ग जिले के कुसमी खुडमुडी मार्ग के मध्य लोर नाला पर पुल निर्माण किये जाने,

(4) श्री प्यारेलाल बेलचन्दन, सदस्य, दुर्ग जिले के ग्राम संजारी एवं बरापारा की खरखरा नदी पर स्टापडेम का निर्माण किये जाने,

(5) श्री सुकीर्ति जैन, सदस्य -

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग कटनी सीमान्तर्गत बायपास रोड का निर्माण किये जाने, तथा

(ख) जबलपुर जिले के विकासखंड-रीठी में शासकीय महाविद्यालय खोलने,

(6) डॉ. सियाराम साहू, सदस्य -

(क) राजनांदगांव जिले के ग्राम महाराजपुर में हाईस्कूल खोलने, तथा

(ख) राजनांदगांव जिले के ग्राम महाराजपुर में उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाने,

(7) श्री कैलाश कुण्डल, सदस्य -

(क) देवास जिले के ग्राम सिरसोदिया में पानी की समस्या का निवान, तथा

(ख) देवास जिले के ग्राम सिरसोदिया से जाने वाले पहुंच मार्ग का निर्माण,

(8) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य -

(क) रीवा जिले के ग्राम कोनी से कुरैली तक विद्युतीकरण करने, तथा

(ख) रीवा जिले के ग्राम हरदहन से बैलिया तक सड़क निर्माण,

(9) श्री दिलीप भट्टेरे, सदस्य -

(क) बालाघाट जिले के ग्राम घोटी से सुलसुली तक सड़क एवं पुल का निर्माण,

(ख) बालाघाट जिले के ग्राम घोटी के शासकीय माध्यमिक शाला भवन की मरम्मत, तथा

(ग) बालाघाट जिले के विकासखंड लोजी में शासकीय मिडिल कन्या शाला भवन का निर्माण,

# प्रधानमंत्री गद्दीप्राप्ति

- २ -

(10) श्री रमेश चन्द्र शर्मा, सदस्य -

- (क) भोपाल के ग्राम हिन्नीतिया चांदबड़ मे मिडिल स्कूल खोलने,  
(ख) भोपाल के टीला जमालपुरा मे पानी की व्यवस्था, तथा  
(ग) भोपाल शहर मे नई सीवेज लाइन डालने,

(11) श्री छतराम देवांगन, सदस्य -

- (क) बिलासपुर जिले के ग्राम बुडगहन मे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रारंभ किये जाने, तथा  
(ख) बिलासपुर जिले के ग्राम बलीदा से बुडगहन तक सड़क का डामरीकरण करने,

के संबंध मे याचिकाये प्रस्तुत करेंगे.

## 5. विश्वविद्यालयों की सभाओं (कोर्ट) के लिये सदस्यों का निर्वाचन

श्री मुकेश नायक, राज्य मंत्री उच्च शिक्षा, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करे, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 20 की उपधारा (1) के पद (अठारह) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित विश्वविद्यालयों की सभा (कोर्ट) के लिये विधान सभा के सदस्यों मे से प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिये उसके सामने आंकित सदस्यों के निर्वाचन के लिये अप्रसर हो :-

- (1) जीवाजी विश्वविद्यालय, गwalियर आठ सदस्य  
(2) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल आठ सदस्य  
(3) गुरु धासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर आठ सदस्य  
(4) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर आठ सदस्य

## 6. ईदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ की सभा (कोर्ट) के लिये राज्य विधान सभा मे दो सदस्यों का निर्वाचन

डॉ. विजय लक्ष्मी साधो, संस्कृति मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगी :-

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करे ईदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम 1956 की धारा 2 की उपधारा (1) के पद (पन्द्रह) की अपेक्षानुसार ईदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ की सभा (कोर्ट) के लिये विधान सभा के सदस्यों मे से दो सदस्यों के निर्वाचन के लिये अप्रसर हो."

## 7. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर बोर्ड के लिये तीन सदस्यों का निर्वाचन

श्री सुभाष यादव, उपमुख्य मंत्री, कृषि निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 25 की उपधारा (1) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर बोर्ड के लिये विधान सभा के सदस्यों मे से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिये अप्रसर हो."

## 8. भूमि सुधार मण्डल के लिये चार सदस्यों का निर्वाचन

श्री सुभाष यादव, उपमुख्य मंत्री, कृषि निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सभा के सदस्याण मध्यप्रदेश भूमि सुधार योजना अधिनियम 1967 (क्रमांक 13 सन् 1967) की धारा 3 की उपधारा (2) (ख) के अनुसरण मे मध्यप्रदेश भूमि सुधार मण्डल के लिये अपने मे से चार सदस्यों के निर्वाचन के लिये अप्रसर हो."

## 9. उद्योगों को राज्य सहायता समिति के लिये पांच सदस्यों का निर्वाचन

श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, राज्यमंत्री वाणिज्य एवं उद्योग, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करे स्टेट एड ट्रू इन्डस्ट्रीज एक्ट, 1958 की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार स्टेट एड ट्रू इन्डस्ट्रीज के लिये गठित होने वाली समिति के लिये राज्य विधानसभा के सदस्यों मे से पांच सदस्यों के निर्वाचन के लिये अप्रसर हो."

- ३ -

**निर्धारित समय**

**10. शासकीय विधि विषयक कार्य**

**उत्तर मि.** (1) श्री रामजी महाजन, श्रम मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश स्लेट पेसिल कर्मकार कल्पाण निधि (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक ७ सन् 1994) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

**उत्तर मि.** (2) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन विधेयक, 1994 (क्रमांक १० सन् 1994) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

**उत्तर मि.** (3) श्री बी.आर. यादव, बन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक ११ सन् 1994) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

**11. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर अर्चा**

**1 अच्छा** मध्यप्रदेश शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित राशन वितरण व्यवस्था के संचालन (शेष 40. में सुधार करने के संबंध में अर्चा (क्रमशः)।  
मि.)

**12. नियम 245 के अधीन प्रस्ताव पर विचार**

सर्वेत्री सुन्दरलाल पटवा, विक्रम वर्मा, सदस्य, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"केन्द्र सरकार द्वारा डंकल प्रस्तावों की स्वीकृति के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के किसानों, कृषि, व्यापार तथा पेटेन्ट कानूनों पर विपरीत प्रभाव होने की स्थिति पर विचार किया जाय"।

भोपाल :  
दिनांक : ३ अप्रैल, 1994

**शीला खाचा**  
सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा